संख्या-52/2025/1410/77-6-25-01(केस-टू-केस/IIEPP-2022)/2024

प्रेषक,

आलोक कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नोएडा।

औद्योगिक विकास अनुभाग-6 **लखनऊ : दिनांक 08 जुलाई, 2025**

विषयः उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 को अनुमन्य केस-टू-केस आधार पर अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत आवंटित भूमि के सापेक्ष भूमि सब्सिडी की धनराशि भुगतान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र ग्रेनो/उद्योग/2025/733 दिनांक 29.01.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 को अनुमन्य केस-टू-केस आधार पर अनुमन्य कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज के अंतर्गत आवंटित भूमि रकबा 202350 वर्गमी0 के सापेक्ष सब्सिडी की धनराशि रू. 2,52,91,22,063.00 का भुगतान कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-45/2024/2071/77-6-24-01(केस-टू-केस/IIEPP-2022)/2024, दिनांक 30.08.2025 मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0 लि0 को उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अंतर्गत कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किया गया है, जिसके अंतर्गत ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्रस्तावित सौर माड्यूल परियोजना हेतु भूमि की वास्तिवक लागत की 75% भूमि सब्सिडी अनुमन्य की गई है।

3- नोडल एजेन्सी इन्वेस्ट यू0पी0 द्वारा की गई संस्तुति के क्रम में सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के अन्तर्गत मेसर्स अवाडा इलेक्ट्रो प्रा0लि0 को आवंटित भूमि रकबा 202350 वर्गमी0 कुल प्रीमियम मूल्य रू. 3,37,21,62,750.00 के सापेक्ष 75% सब्सिडी की धनराशि रू. 2,52,91, 22,063.00 की प्रतिपूर्ति/भुगतान ग्रेटर नोएडा को किये जाने का निर्णय लिया गया है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार अवगत होते हुए नोडल एजेन्सी के माध्यम से मांग का प्रस्ताव शासन को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

आलोक कुमार

प्रमुख सचिव।

संख्या- 52 /2025/1410(1)/77-6-25-01(केस-टू-केस/IIEPP-2022)/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) उ0प्र0, प्रयागराज।
2. निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0 शासन।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/वित्त, न्याय, नियोजन, एमएसएमई, स्टाम्प एवं निबन्धन, राज्यकर विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. निजी सचिव, सचिव/विशेष सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू0पी0।
6. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा/यूपीडा/नोएडा/गीडा।
7. प्रबंध निदेशक, पिकप।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

रामध्यान रावत

उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।